[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.31/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2017

का.आ. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उपवाक्य (ड) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों, जैसा भी मामला हो, में स्थित एवं उनके समक्ष कथित सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित डाकघरों को आयातित अथवा निर्यातित माल की निकासी के उद्देश्यों हेतु विदेश डाकघरों के रूप में नियुक्त करता है ।

क्र. स.	**राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश**	**डाकघरों का नाम**
(1)	(2)	(3)
1	आन्ध्र प्रदेश	(i) विदेश डाकघर, विजयवाड़ा; *
2	असम	विदेश डाकघर, गुवाहाटी ।
3	दिल्ली	विदेश डाकघर, नई दिल्ली ।
4	गुजरात	विदेश डाकघर, अहमदाबाद ।
5	जम्मू-कश्मीर	(i) विदेश डाकघर, श्रीनगर । (ii) विदेश डाकघर, लेह ।
6	कर्णाटक	विदेश डाकघर, बेंगलुरु ।
7	केरल	विदेश डाकघर, कोच्ची ।
8	महाराष्ट्र	(i) विदेश डाकघर, मुम्बई; (ii) एयर पार्सल सोर्टिंग ऑफिस, मुम्बई ।
9	पंजाब	विदेश डाकघर, लुधियाना ।
10	राजस्थान	विदेश डाकघर, जयपुर ।
11	तमिलनाडू	(i) विदेश डाकघर (हवाई), चेन्नई; (ii) विदेश डाकघर (समुद्री), चेन्नई ।
11A*	तेलंगाना	विदेश डाकघर, हैदराबाद ।”
12	उत्तर प्रदेश	(i) विदेश डाकघर, कानपुर ; (ii) विदेश डाकघर, आगरा । (iii) विदेश डाकघर, वाराणसी ।
13	पश्चिम बंगाल	विदेश डाकघर, कोलकता ।

[फा.सं. 476/03/2016-एलसी]

(टेम्सुनारो जमीर)

अवर सचिव, भारत सरकार

शुद्धिपत्र दिनांक 5 अप्रैल 2017 के द्वारा